[2016] 2 एस. सी. आर. 872

भारत चिकित्सा परिषद

बनाम

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एवं अन्य

(2013 की पुनरीक्षण याचिका (सी) संख्या 2159-2268 आदि)

11 अप्रैल, 2016

[अनिल आर. डेव, ए.के. सिकरी, आर.के. अग्रवाल, अदर्शी कुमार गोथल एवं आर. बानुमाटी, न्यायाधीशगण]

समीक्षाः क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज केस में पारित निर्णय को वापस लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका आयोजित कियाःक्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है-इस स्तर पर विस्तार से कारण नहीं बताए गए हैं ताकि यह मामलों की सुनवाई को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे-इस उद्देश्य के लिए। श्योनंदन में की गई टिप्पणियां प्रासंगिक हैं कि क्या शीर्ष अदालत की समीक्षा पीठ को कारण देने की आवश्यकता थी। समीक्षा पीठ को मामले पर पूरी तरह से और विस्तार से चर्चा करनी होगी और यह उजागर करना होगा कि उसके अनुसार मूल पीठ के तर्क में क्या त्रुटियां है और अनिवार्य रूप से मामले के पूर्व निर्णय में परिणाम देगा और इसकी पुनः सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा-जे. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज मामले में कुछ बाध्यकारी उदाहरणों पर विचार नहीं किया गया था और विशेष रूप से निर्णय की घोषणा से पहले पीठ के सदस्यों के बीच कोई चर्चा नहीं हुई थी-इसलिए, समीक्षा याचिका की अनुमति दी गई और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज मामले को मामले को नए सिरे से सुनने का निर्देश देते हुए वापस ले लिया गया।

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **2013 (7) एससीआर 908:(2014) 2 एससीसी 305:** कमलेश वर्मा बनाम मायवती और अन्य **2013 (11) एससीआर 25:(2013) 8 एस. सी. सी. 320;** भारत संघ बनाम नमित शर्मा **2013 (13) एस. सी. आर. 96: को संदर्भित किया (2013) 10 एस. सी. सी. 359;** जी. शेयोनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य और अन्य **1987 (1) एस. सी. आर. 702:(1987) 1 एस. सी. सी. 288-संदर्भित।**

<u>वाद विधि संदर्भ</u>

2013 (7) एस. सी. आर. 908	**संदर्भित**	**पैरा 1**
2013 (11) एस. सी. आर. 25	**संदर्भित**	**पैरा 4**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2012 की स्थानांतरित वाद (सी) सं. 98-105, 107-108, 110-139, 142, 144-145 एवं 2013 की 1-5, 7-25, 28-49, 53, 58-73, 75-76 एवं 107-108 में 2013 की समीक्षा याचिका(सी) सं.-2159-2268 एवं 2013 की समीक्षा याचिका (सी) सं. 2048-2157

साथ में

2012 की टी.सी.(सी) सं. 101 में 2013 की समीक्षा याचिका (सी) सं. 1956 2012 के टी.सी.(सी)सं. 98 में माननीय न्यायालय के दिनांकित 18.07.2013 के निर्णय एवं आदेश से

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौरव शर्मा, सुश्री दीपिका कालिया, धवल मोहन, सुश्री अमनदीप कौर, प्रतीक भाटिया, कपीश सेठ, सुश्री वारा गौर, प्रशांत भूषण, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता।

सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., के. के. वेणुगोपाल, शशि किरण शेट्टी, डॉ. राजीव धवन, राकेश द्विवेदी, बी. आदि नारायण राव, वी. गिरि, सुब्रमण्यम प्रसाद अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री रेखा पांडे, अजय शर्मा, आर. के. राठौर, आर. एस. नगर, अमित शर्मा, एस. एस. रावत, करण सेठ, संचित कुमार, आकाश जिंदल, (डी. एस. माहरा के लिए), शरण ठाकुर, विजय कुमार परदेशी, सुश्री फरा फातिमा, (रमेश बाबू एम. आर. के लिए), रंजीत बी. राउत, (सुश्री बीना गुप्ता के लिए), सुश्री हेतू अरोड़ा सेठी, नवीन आर. नाथ, सुश्री एल. एम. भट, कृष्ण श्रीनिवासन, ई. आर. कुमार, सुश्री गीथी आरा, अभिनय, सुश्री एस. लक्ष्मी अय्यर, सुश्री अपूर्व गर्ग, सुश्री संसृति पाठक, (मिस पारेख एवं के के लिए), राकेश के. शर्मा, सुश्री लैंगर शेखरंजनी ए., सुश्री संगीता चौहान, बी. बालाजी, उत्कर्ष श्रीवास्तव, अशमीत सिंह, शरण ठाकुर, विजय कुमार परदेशी, सुश्री फरा फातिमा, (डॉ. खुशी के लिए) बलवाड़ा, ऐश्वर्या सिन्हा, तारा चंद्र शर्मा, सुश्री नीलम शर्मा, राजीव शर्मा, निशांत आर. कटनेश्वरकर, अर्पित राय, वी. जी. प्रगसम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम, अब्देश चौधरी, राजीव रंजन द्विवेदी, सी. एस. एन. मोहन राव, ए. रमेश, सैयद अहमद नकवी, सुश्री श्री पी. गुप्ता। लक्ष्मी रमन सिंह, गुंटुर प्रभाकर, अनील कुमार मिश्रा-1, रविंद्र केश्वराव अदसुरे, के.के.मनी, निमिलेश दुबे, जी.बी. साठे, पी.एन. पुरी प्रत्यर्थियों के वास्ते अधिवक्तागण।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया.

<u>आदेश</u>

1. ये समीक्षा याचिकाएँ क्रिश्चन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य(2014)2 एस सी सी 305 में प्रतिवेदित मामले में पारित दिनांकित 18 जुलाई, 2013 के इस न्यायालय के खिलाफ दायर की गई है। समीक्षा याचिकाओं को तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया और 23 अक्टूबर, 2013 को नोटिस जारी किए गए

और उसके बाद, यह पीठ के संज्ञान में लाया गया कि दीवानी अपील सं. 4060/2009 और इसी तरह के मुद्दे से जुड़े संबंधित मामलों को पांच-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था।

2. तदनुसार, 21 जनवरी, 2016 को इन समीक्षा याचिकाओं पर पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई करने का आदेश दिया गया था। 21 जनवरी, 2016 को प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया था और उक्त आदेश के अनुसरण में, दो समाचार पत्रों में आवश्यक प्रकाशन किया गया था और 15 फरवरी, 2016 को इसका प्रमाण दाखिल किया गया था। इसके बाद, हमने मामलों को सुना।

3. दीवानी अपील सं.4060/2009 और उससे जुड़े मामलों की सुनवाई की गई है और 16 मार्च, 2016 को आदेश सुरक्षित रखा गया है।

4. हमने दोनों पक्षों के वकीलों को बहुत विस्तार से सुना है और उनके द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों पर भी विचार किया है, जिसमें कमलेश वर्मा बनाम मायवती और अन्य (2013) 8 एस. सी. सी. 320, भारत संघ बनाम नमित शर्मा (2013) 10 एस. सी. सी. 359 और शिवानंदन पासवान बनाम बिहार राज्य और अन्य (1987) 1 एस. सी. सी. 288 में समीक्षा के दायरे पर गैर-याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत निर्णय शामिल हैं।

5. अपना विचारशील और उचित विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (उपरोक्त) में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। हम इस स्तर पर विस्तार से कारण बताने का प्रस्ताव नहीं करते हैं ताकि यह देखा जा सके कि यह मामलों की सुनवाई को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे। इस उद्देश्य के लिए हमने शेयोनंदन पासवान (ऊपर) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में निम्नलिखित टिप्पणियों को ध्यान में रखा हैः

"……यदि शीर्ष न्यायालय की समीक्षा पीठ को कारण देने की आवश्यकता होती है, तो समीक्षा पीठ को मामले पर पूरी तरह से और विस्तार से चर्चा करनी होगी और यह उजागर करना होगा कि उसके अनुसार मूल पीठ के तर्क में क्या त्रुटियां है और इसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से मामले का पूर्व निर्णय होगा और इसकी पुनः सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पुनरीक्षण याचिका को अनुमति देने और पुनरीक्षण के लिए मांगे गए आदेश को दरकिनार करने वाला एक तर्कपूर्ण आदेश, मामले की पुनः सुनवाई से पहले ही, पुनः सुनवाई के निर्देश को निर्धारित करेगा और ऐसा निर्देश, चाहे बाध्यकारी हो या प्रेरक मूल्य का, ज्यादातर मामलों में मामले की पुनः सुनवाई में हारने वाले पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में समीक्षा पीठ को पुनर्विचार याचिका की अनुमति देने और अपील की फिर से सुनवाई का निर्देश देने के लिए कारण नहीं बताने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समीक्षा पीठ के सभी तीन न्यायाधीशों का यह विचार सर्वसम्मत था कि "तथ्यों और परिस्थितियों का कोई भी निर्णय जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटियों का गठन करता है और इन निष्कर्षों के लिए मेरे कारण हैं कि ये तथ्य और परिस्थितियां रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटियां गठन करते हैं जिसके परिणामस्वरूप समीक्षा याचिका की सफलता होती है, अपील को पूर्वाग्रहित करने की संभावना हो सकती है जिसे मेरे निर्णय के परिणामस्वरूप फिर से सुनना होगा।……"

6. यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि बहुमत के दृष्टिकोण ने कुछ बाध्यकारी उदाहरणों को ध्यान में नहीं रखा है और विशेष रूप से, हम पाते हैं कि निर्णय की घोषणा से पहले पीठ के सदस्यों के बीच कोई चर्चा नहीं हुई थी।

7. इसलिए हम इन पुनर्विचार याचिकाओं को अनुमति देते हैं और 18 जुलाई, 2013 के फैसले को याद करते हैं और निर्देश देते हैं कि मामलों की सुनवाई नए सिरे से की जाए। पुनर्विलोकन याचिकाओं को अनुमति के अनुसार निपटाया जाता है।

देविका गुजराल पुनरीक्षण याचिका ख़ारिज